यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.
म्बर 169/2025 राजस्व वाद
रकाश चन्द्र कुमावत पुत्र छीतरमल कुमावत आयु वयस्क निवासी – ढाणिया सोमाणिया, तहसील करेड़ा जिला – भीलवाडा (राज0)
शांतिलाल पुत्र छीतरमल कुमावत आयु वयस्क निवासी – ढाणिया सोमाणिया, तहसील करेड़ा जिला – भीलवाडा (राज0)

––– वादीगण

बनाम

लाल पुत्र छोगा लुहार आयु वयस्क निवासी – बेमाली, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
लाल पुत्र नारू लुहार आयु वयस्क निवासी – बेमाली, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
मीलाल पुत्र छोगा लुहार आयु वयस्क निवासी – बेमाली, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
लाल पुत्र बख्तावर लुहार आयु वयस्क निवासी – बेमाली, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
रचन्द पुत्र गिरधारी लुहार आयु वयस्क निवासी – बेमाली, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेड़ा जिला – भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

त :–

अशोक कुमार लखारा ––अधिवक्ता वादी
क्षीय– –– प्रतिवादी संख्या 01 से 05
कार सरकार –– अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 06

:: निर्णय :: दिनांक – 12.01.2026

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि. के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद ग्राम बेमाली, पटवार हल्का बेमाली, भू अभिलेख क बेमाली, तहसील करेड़ा जिला – भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नम्बर 3195, 3196 कुल किता 02 रकबा 2.3143 हेक्टयर भूमि जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से ली आ रही है। वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादीगण ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक पत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला – भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया प्रकरण संख्या 202/2025 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 12.05.2025 को जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को होने पर आराजी नम्बर 3196 रकबा 0.2909 भूमि पर प्रतिवादी 01 लगायत 05 व आराजी नम्बर 3195 कुल रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि में से 0.0126 हैक्टयर भूमि तिवादी संख्या 03 द्वारा कब्जा कर लिया, जिससे दिनांक 10.07.2025 को उक्त आराजीयात पत्थरगढी र व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे आराजी नम्बर 3196 रकबा 0.2909

उपखण्ड अधिकारी पदे
सहायक कलक्टर करे

र प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 व आराजी नम्बर 3195 कुल रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि में से 0.
हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 03 का अवैध कब्जा कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजीयात से
दीगण का कोई हक अधिकार नही है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार वादपत्र की चरण संख्या
। मे वर्णित वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को छोडने हेतु कहा
प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 05.08.2025 को उनके द्वारा
र किये गये कब्जे को छोडकर, उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने हेतु कहा तो
दीगण वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को
दी कि वादीगण की मर्जी आये जो कर लेना , प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे
ादीगण प्रतिवादीगण का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश
की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की
सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण द्वारा सरहद ग्राम बेमाली, पटवार हल्का बेमाली,
लेख निरीक्षक बेमाली, तहसील करेड़ा जिला – भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3196 रकबा 0.
भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 व आराजी नम्बर 3195 कुल रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि में
26 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण
पुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी
गया , लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण द्वारा
स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।
वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का
कन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को
करने का निवेदन किया गया।
मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया ,
हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का
कन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05
वैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है।
व

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01
त 05 ने वादीगण की सरहद ग्राम बेमाली, पटवार हल्का बेमाली, भू अभिलेख निरीक्षक बेमाली,
ल करेड़ा जिला – भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3196 रकबा 0.2909 भूमि पर प्रतिवादी संख्या
गायत 05 व आराजी नम्बर 3195 कुल रकबा 2.0234 हैक्टेयर भूमि में से 0.0126 हैक्टयर भूमि पर
दी संख्या 03 द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय
लना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार
जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)